भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2945

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

भोमा में धार्मिक ढांचों/मकानों/मंदिर के तालाबों को बचाना

2945. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तरी गोवा के प्रियोल निर्वाचन क्षेत्र के भोमा में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित स्थल पर धार्मिक ढांचों, मकानों और मंदिर के तालाबों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रक्रिया को शुरू करने से पूर्व स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित सड़क के चौड़ीकरण के लिए इस क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षेत्रीय योजना 2021 में दर्शाए गए बाइपास का विकल्प नहीं चुनने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या गोवा राज्य सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित स्थल पर धार्मिक ढांचों, मकानों और मंदिर के तालाबों के संरक्षण के लिए प्रियोल निर्वाचन क्षेत्र के भोमा में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः संरेखण का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) उत्तरी गोवा के प्रियोल निर्वाचन क्षेत्र के भोमा में राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) संख्या 748 को मौजूदा राजमार्ग संरेखण के साथ इस तरह से चौड़ीकरण कार्य को अंतिम रूप दिया गया है कि मौजूदा संरचनाओं/जल निकायों पर कम से कम प्रभाव पड़े। कोई भी धार्मिक संरचना प्रभावित नहीं होगी तथा निर्मित क्षेत्र में ऊंची संरचना को यातायात के सुचारू एवं दुर्घटना रहित आवागमन के लिए उपलब्ध मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। स्थानीय परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मौजूदा संरेखण के साथ एनएच के चौड़ीकरण की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। मौजूदा एनएच संरेखण के साथ न्यूनतम 4.53 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है।।

*****